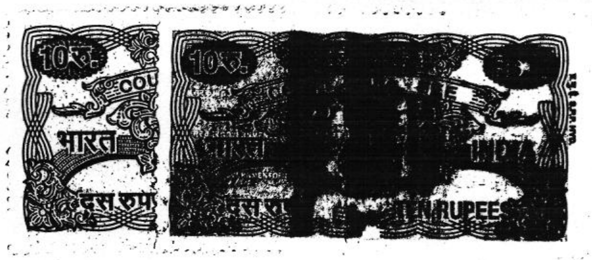

404

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यु ग्वालियर

प्र. क्र. /2018 निगरानी – 5225/2018/आगर मालवा/भू.रा.

1 कालुसिंह पिता हरिसिंह आयु 65 वर्ष
2 शिवराज उर्फ पप्पु पिता कालुसिंह आयु 32 वर्ष
3 मोहनसिंह पिता नरवरसिंह जाति राजपुत निवासीगण– ग्राम तनोडिया जिला आगर मालवा ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1 मदनलाल पिता पूनमचंद आयु 90 वर्ष
2 राधावल्लभ पुत्र मदनलाल आयु 53 वर्ष जाति – जैन निवासीगण - दर्जी मोहल्ला ग्राम तनोडिया तह. व जिला आगर मालवा ....रेस्पॉन्डेंटस

24/7/18

शैलेन्द्र सिसोदिया

24.7.18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भु.राजस्व संहिता

माननीय महोदय

प्रार्थी / निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है :–

अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार आगर मालवा के द्वारा प्रकरण क्रमांक 5/अ–13/17–18 मदनलाल आदि विरूद्ध मोहनसिहं में पारित आदेश **दिनांक 06.07.18** से क्षुब्ध होकर निम्नलिखित आधारों पर यह निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के तथ्य

अ. यह कि ग्राम तनोडिया तह. व जिला आगर मालवा में रेस्पांडेट के स्वामित्व में कृषि भूमि सर्वे क. 2454 रकबा 0.82 स्थित है इस भूमि पर आने जाने हेतु आवेदकगणो की कृषि भूमि सर्वे क. 2450/1 व 2450/2 जो अनावेदक मोहनसिंह पिता नरवरसिंह व कालुसिंह पिता हरिसिंह की भूमि है जो राजस्व अभिलेख में अंकित है ।

ब. रेस्पांडेटगण के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करते हुऐ बताया कि भूमि सर्वे क. 2454 आने जाने के लिये ग्राम तनोडिया से चलकर सर्वे क. 2484/2 के सेडे पर होकर मोहनसिंह आदि की भूमि सर्वे क. 2450/1 के सेडे से होकर अपनी भूमि सर्वे क. 2454 पर पहुच जाते थे आवेदकगणो के द्वारा सेडे को हाकरकर अपने खेत में मिला लिया है तथा रास्ते पर टापरी बना ली है इनके द्वारा रास्ता विवाद उत्पन्न किया जा रहा हे इसलिये पूर्ववत रास्ता खुलवाये जाने का निवेदन किया ।

3

स. यह कि मौके पर राजस्व निरीक्षक वृत्त से अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा मौका प्रतिवेदन मंगवाया गया राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 10.03.18 को उपस्थित ... के समक्ष पंचनामा तैयार कर मय प्रतिवेदन के रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5225/2018/आगर मालवा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/12/2018	अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया। आवेदक की ओर से श्री के.के. द्विवेदी अधिवक्ता उपस्थित। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि यह निगरानी तहसीलदार आगर मालवा के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संहिता में हुए नवीन संशोधन के अनुसार तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध सुनवाई की अधिकारिता अब राजस्व मंडल को नहीं है। अतः प्रकरण समाप्त किया जाए। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध निगरानी की अधिकारिता कलेक्टर को दी गई है। अतः प्रकरण कलेक्टर आगर मालवा को सुनवाई हेतु भेजा जाए। दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया। विचारोपरांत म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को कलेक्टर जिला आगर मालवा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	